न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा(धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी – देवी सिहं (आर0ए0एस0)
मूल वाद सं– 15/22

1. रामवेटी बिधवा
2. महेश
3. रामबरन
4. रामविलास
5. विनोद

पुत्रगण खुशीलाल जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम कठूमरी तहसील राजाखेडा

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रतापसिंह
2. कल्लू

मॉ प्रयाग देवी पिता गजसिंह जातिगण गुर्जर निवासीगण सावलियापुरा तहसील राजाखेडा

3. जगदीश प्रसाद
4. रद्युवीर
5. रामदास
6. सत्यप्रकाश
7. सुरेश

पुत्रगण माताप्रसाद जातिगण ब्राह्मण् निवासीगण पापरीपुरा तहसील राजाखेडा

8. होली पुत्र होतमसिंह जाति गुर्जर निवासी घुरैयाखेडा राजाखेडा
9. मुन्नी
10. मीना

पुत्रीयॉ खुशीलाल जाति ठाकुर निवासी कठूमरी तहसील राजाखेडा

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट नक्शा दुरूस्ती

उपस्थिति :–

1. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री विमल कुमार शर्मा।
2. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 4 ल0 6 एवं 9, 10 :– श्री जगदीश प्रसाद राजपूत

निर्णय

मूल वाद सं. 15/22

दिनांक :– 4/9/2023

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, एल.आर.एक्ट नक्शा दुरूस्ती पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी ख.न. 174/111 रकवा 0.5059 के खातेदार खुशीलाल थे जिनका देहान्त कुछ समय पहेले ही हुआ है प्रार्थी संख्या 1 उनकी बिधवा है तथा प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 एवं अप्रार्थी संख्या 9 व 10 मृतक खुशीलाल के विधिक बारिस है। आराजी खसरा नम्बर 174/111 स्थित ग्राम घुरैयाखेडा तहसील राजाखेडा खसरा नम्बर 174/111 गत खसरा नम्बर 111 का अंश है। गत खसरा नम्बर 111 का रकवा काफी बडा था। उसमें सभी अभिलिखित खातेदार अपने अपने रकवे के मुताविक काविज थे तथा नक्शा में पृथक–पृथक तरमीम नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की माता प्रयाग देवी खसरा नम्बर 111 में करीब 8–10 वर्ष पूर्व खातेदार नहीं थे जबकि स्वर्गीय खुशीलाल एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 8 करीब 50–55 वर्षों से काविज है। तथा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा (धौलपुर)

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

सभी पूर्ववर्ती समय से काबिज खातेदारों ने अपने–अपने परिश्रम से एवं धन लगाकर बीहड भूमि को समतल कर उपजाऊ योग्य बनाया है। प्रयाग देवी का देहान्त हो गया है। उसके बारिसान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 है। वही लोग विवादित आराजी पर आते है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से साठ–गाठ कर ख0 नं0 111 के अंश सख्या 174/111, 175/111, 177/111, एवं 176/111 निर्मित कर पृथक–पृथक नक्शा अक्स में तरमीम कर दिया इस तरमीम में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जानबूझ कर अपने रकवे को गलत तरमीम करा ली है। जिस जगह पर प्रार्थीगण वर्षों से काविज है। वहॉ पर स्वयं को दर्शा दिया हैं। तथा अप्रार्थीगणों ने प्रार्थीगणों को उस जगह दर्शाया गया है। जहॉ वह कभी भी कब्जे में नहीं रहे है। तरमीम करते समय ना तो मौके पर भौतिक कब्जे का ध्यान रखा, ना ही मौके पर जाकर तरमीम की गई किसी भी प्रकार से मौके पर पैमाईस नहीं की गई सम्पूर्ण नक्शा तरमीम असलियत से बाहर जाकर की गई तथा कोई भी मौके पर काविज काश्तकारों को इस बाबत् ना तो तो सूचना दी गई ना ही कोई सहमति ली। किसी भी प्रकार से भौतिक सर्वेक्षण नहीं किया गया। मनमाने मरीके से मानचित्र तैयार कर दिया गया। प्रार्थीगण करीब 50 वर्षों से जहॉ काविज थे आज भी उसी जगह काविज है। प्रार्थीगण आराजी ख0 नं0 172/111 की सीमा पर है तथा उनकी आराजी से लगा हुआ नाला बरसाती है। तथा जो राजस्व ग्राम कठूमरी की सीमा पर है जिस जगह प्रार्थीगण प्रदर्शित वर्तमान नक्शे में किया है। वह क़ब्जे के विपरीत है। प्रार्थीगणों के खेत पडोसी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं अप्रार्थी संख्या 8 है जो कि 174/111 के पश्चिमी दिशा में कब्जे में है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 प्रार्थीगणों के खेत पडोसी नहीं रहे है और ना ही वर्तमान में है। करीव एक माह पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगणों के पास आकर कहा कि तुम जिस जगह काविज हो वहॉ से अपना कब्जा छोड दो हम अपनी आराजी की मेंढ को ध्वस्त कर नाले वाली जगह तक ले जायेगें इस पर प्रार्थीगणों ने आपति की तो उन्होंने नक्शा अक्सा दिखाया और प्रार्थीगणों ने आपति की तो उन्होंने नक्शा तक ले जायेगें इस पर प्रार्थीगणों को नक्शा में प्रदर्शित खसरा नम्बर 174/111 पर कब्जा करने को कहा तथा धमकी दी कि यदि प्रार्थीगणों ने नक्शा अक्शा में प्रदर्शित 177/111 पर से कब्जा नहीं छोडा तो वह लठ्ठी डन्डे के बल पर वेदखल कर देगें और वे जबरदस्ती कब्जा ले लेगें। ख0 नं0 111 स्थित ग्राम घुरैयाखेडा से जो मिन नम्बर बनाये गये है तथा मिन नम्बरों के बावत् जो नक्शा अक्सा तैयार किया गया है उसे निरस्त किया जाकर प्रार्थीगणों का मिन नम्बर 174/111 को ख0नं0 172/111 की सीमा पर एवं ग्राम कठूमरी राजस्व ग्राम की सीमा पर प्रदर्शित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगयात 11 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स. 1, 2, 3, 7, 8, बाबदूज विधिवत तामील कोई भी हाजिर नहीं एक्स पार्टी की गयी। प्रतिवादी संख्या 11 न्यायालय में उपस्थित वह अपना जबाब देना नहीं चाहते। प्रतिवादी संख्या 4 लगयात 6 एवं 9, 10 की ओर से श्री जगदीश प्रसाद राजपूत ने वकालतनामा पेश कर इकवाल दावा पेश किया एवं वाद–पत्र के समस्त तथ्यों को स्वीकार किया। प्रार्थी पक्ष की ओर से पी0डब्लू0–1 रामविलास तथा पी0डब्लू0–2 के वयान कराये गयें। एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री विमल कुमार शर्मा ने अपनी लिखित बहस पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगणों ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0 एक्ट0 पेश निवेदन किया कि खसरा नम्बर 174/111 स्थित ग्राम घुरैयाखेडा तहसील राजाखेडा मूल खसरा नम्बर 111 का अंश है। तथा प्रार्थीगण काविज खातेदार कृषक है एवं स्वर्गीय खुशीलाल के विधिक वारिस है। अप्रार्थी संख्या 9 व 10 भी खुशीलाल की पुत्रियॉ है जिनके हित प्रार्थीगण के समान है। खसरा नम्बर 111 कॉफी बडा रकवा है इसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 भी खातेदार है। किन्तु पूर्व में नक्शा में किसी भी प्रकार रिकार्डेड खातेदारों को उनके कब्जे के स्थान को प्रदर्शित नहीं किया गया था। प्रार्थीगण के पिता खुशीलाल एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगयात 8 उनके खातेदारी के प्राप्त होने के समय से काबिज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की मॉ प्रयाग देवी का देहान्त हो गया है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उसके बारिस है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर जो नक्शा तरमीम कराया है। उसमें उन्होंने प्रार्थीगण के कब्जे वाली भूमि पर अपनी खातेदारी आराजी प्रदर्शित नक्शा तरमीम में करा ली है, जबकि वास्तविक एवं भौतिक रूप से प्रदर्शित आकृति नक्शा तरमीम पर उनका कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीगणों को नक्शा तरमीम के बावत् पूर्व में ना तो कोई नोटिस दिया ना ही किसी प्रकार से सूचना दी ना ही मौके पर भौतिक कब्जे का संज्ञान लिया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के भाग कहने मात्र से गतल नक्शा तरमीम कर दिया इससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगणों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया तथा प्रार्थीगणों को न्याय हेतु एवं वास्तविक कब्जे की जगह नक्शा शुद्वि के बावत् प्रार्थना–पत्र पेश करना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 7, 8, के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई तथा 4, 5, 6, 9, 10, की ओर जबाब दावा वतौर इकवालदावा पेश किया गया भूमिधारी ने कोई जबाब पेश नहीं किया। प्रार्थीगणों के ऊपर गलत नक्शा तरमीम सिद्व करें का भार था। तथा अपना कब्जा सिद्व करना आवश्यक था इसके लिये दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य भी करायी गई है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को प्रार्थीगणों के कथनों का खण्डन करना था। जो हाजिर अदालत नहीं आये है। प्रार्थीगणों का कब्जा करीब 50 वर्ष पूर्व पुराना होना स्वयं उनके प्रार्थना–पत्र से जो कि शपथ–पत्र से तस्दीक किया गया है। तथा मौखिक साक्ष्य के साथ–साथ अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6, 9, 10, जबाब से सिद्व होता है। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6, 9, व 10 इसी मूल खसरा नम्बर 111 में खातेदार है उनका नम्बर 175/111 है जो नम्बर मिन है तथा ग्राम पापरीपुरा के ब्राम्हण् जाति से है। अतः इनके जबाब से ही स्पष्ट होता है कि वास्तविकता के साथ जबाब पेश है। इसमें मिली भगत का प्रश्न नहीं दिखाई देता है इसमें मिली भगत का प्रश्न ही दिखाई देता है इसके अतिरिक्त यह भी भली–भांति सिद्व है कि ख0 प्रयाग देवी के कुछ वर्ष पूर्व ही मूल ख0नं0 111 में हिस्सा क्रय किया है जबकि प्रार्थीगण के पिता खुशीलाल एवं अप्रार्थीगण संख्या 4, 5, 6, 9 व 10 करीब 50 वर्षों से काबिज है अतः ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि प्रार्थीगण अपने पूर्व के कब्जे से चलायमान काश्तकार हो तथा गलत प्रार्थना–पत्र पेश किया है। इसके अतिरिक्त राजस्व कर्मचारियों को नियमानुसार नक्शा तरमीम करते समय उससे सम्बन्धित काश्तकारों को सूचना देना अपरिहार्य है। भौतिक रूप से कब्जे का आंकलन करना आवश्यक है तथा तटस्थ व निष्पक्ष भाव से आपत्तियों एवं स्वीकृतियों लेना आवश्यक है इस बाबत् अप्रार्थी संख्या 9 जो कि लैण्ड होल्डर है जबाब देही करना उचित नहीं समझता तब ऐसा ही माना जावेगा कि उसके द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया। अगर कोई नोटिस एवं सूचना तथा उनकी उपस्थिति के बावत् कोई रिपोर्ट होती तो अवश्य ही न्यायालय की पत्रावली में संलग्न करायी जाती तथा प्रार्थीगणों के कथन को खण्डन किया जाता इससे प्रार्थीगण के कथनों को मजबूती मिलती है उनके कथनों को झुडलाया नहीं जा सकता है यह भी बात सही है कि कोई भी काश्तकार जब 50 वर्षों से काबिज है वह अपने पुराने कब्जे को यकायक नहीं छोडता है क्योंकि जिस जगह काबिज होता है उसे वह धन व परिआम से उपयोगी बनाता है जबकि उन्हें वही भू–खण्ड पर कब्जा लेना ही न्याय संगत है। अतः क्रेता अपने कब्जे से चलायमान हो सकता है वह उपयोगी आराजी को गलत तरीके से हडपने का उदेद्श्य रख सकता है। प्रार्थीगणों का प्रार्थना–पत्र पूरी तरह सिद्व है। अतः तहसीलदार राजाखेडा को आदेशित किया जावें कि ग्राम कठूमरी की राजस्व सीमा से लगते हुए उतरी दिशा में सडक से मिलाते हुए नक्शा तरमीम किया जावें जो नक्शा वर्तमान में तरमीम है उसे निरस्त किया जाता है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की विधिवत जॉच कर निष्पक्ष रूप से तहसीलदार स्वयं मौके पर नवीन नक्शा तरमीम करें। श्रीमान जी बडी कृपा होगी।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना–पत्र, वकील अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 6, 9 व 10 के अधिवक्ता के जबाब प्रार्थना–पत्र वतौर इकवाल दावा, गवाह पी0डब्लू0 रामविलास तथा पी0डब्लू0 तालेवार के साक्ष्य में कराये बयान वकील प्रार्थी की लिखित बहस, प्रदर्श–2, विवादित ख0नं0 नक्शा अक्श, प्रदर्श–1, ख0नं0 174/111 की जमाबन्दी सम्बत 2074–2077, प्रदर्श–3, ख0नं0 175/111 की जमाबन्दी सम्बत 2074–77, प्रदर्श–4, जमाबन्दी 2074–77 ख0नं0 176/111, प्रदर्श–6, जमाबन्दी सम्बत 2074–77 ख0नं0 177/111, प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्बत 2074–77 ख0नं0 173/111, 179/113 पेश की है। का अध्ययन मनन अवलोकन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाकर मूल ख0नं0 111 में राजस्व ऐजेन्सी द्वारा की गई तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार राजाखेडा को आदेश दिये जाते है कि मूल ख0नं0 111 के विभक्त ख0नं0 174/111 को ख0नं0 172/111 की सीमा पर एवं ग्राम कठूमरी राजस्व ग्राम की सीमा पर प्रदशित करते हुए स्वयं मौके पर जाकर पुनः तरमीम करने के ओदश दिये जाते है। पालना हेतु परवाना तहसीलदार राजाखेडा को जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील होने पर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा